

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-८डी०(पुनर्विनियोग)-२०-११/२०१६-

58

24.11.16

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में गैर योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-०१ अनुसूचित जातियों का कल्याण-२७७-शिक्षा, ०००२-"छात्रावासों का संधारण" विपत्र कोड- N2225012770003 के १३०४-विद्युत् प्रभार ईकाई में ₹४,००,००,०००/- (चार करोड़ रु०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष "२२५१-सचिवालय- सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-०९०-सचिवालय, उपशीर्ष-००२३-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग" विपत्र कोड- N2251000900023 के अन्तर्गत १३०१-कार्यालय व्यय एवं २८०१-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ इकाई में आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान नहीं रहने के कारण से ₹३६,१३,०००/- (छत्तीस लाख तेरह हजार रु०) मात्र का पुनर्विनियोग कर उपबंध के स्वीकृति का प्रस्ताव ।

आदेश- स्वीकृत ।

२- बिहार वित्तीय नियमावली भाग १ के नियम ४८९ योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष "२२५१-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-०९० -सचिवालय, उपशीर्ष -००२३ -अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्रकोड- N2251000900023 के अन्तर्गत १३०१-कार्यालय व्यय इकाई एवं व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ इकाई मद में आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान नहीं रहने के कारण से कमशः ₹८,००,००० (आठ लाख रुपये) एवं ₹२८,१३,०००/- (अठ्ठाईस लाख तेरह हजार रु०) अर्थात् कुल ₹३६,१३,०००/- (छत्तीस लाख तेरह हजार रु०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

३- प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

४- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।


५- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-८डी०(पुनर्विनियोग)-२०-११/२०१६- 58 पटना, दिनांक- 24.11.16
प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-८डी०(पुनर्विनियोग)-२०-११/२०१६- 58 पटना, दिनांक- 24.11.16
प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/ उप सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा १जी०/८ डी०/सांख्यिकी कोषांग अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।

1/11/16

अतिरिक्त/अनुदान
के लिए आवेदन-पत्र।
पुनर्विनियोग

ज्ञाप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष "2251-सविलाय-सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष -0023 -अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड- N2251000900023 (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 1301-कार्यालय व्यय इकाई में ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये) एवं व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ इकाई मद में ₹28,13,000/- (अठाईस लाख तेरह हजार रू०) अर्थात् कुल ₹36,13,000/- (छत्तीस लाख तेरह हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त उपबन्ध हेतु

के क्रम में

स्वीकृति के लिए

को उपस्थापित।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन

प्रदाधिकारी का पदनाम - अवर सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण

पुनर्विनियोग यदि कुछ हो- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष ज्ञाप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 गैरयोजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा, 0002-"छात्रवासों का संधारण" विपत्र कोड- N2225012770002 के 1304-विद्युत प्रभार इकाई में ₹4,00,00,000/- (चार करोड़ रू०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से मुख्य शीर्ष "2251-सविलाय-सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष -0023 -अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड- N2251000900023 के अन्तर्गत 1301-कार्यालय व्यय इकाई में ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये) एवं व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ इकाई मद में ₹28,13,000/- (अठाईस लाख तेरह हजार रू०) अर्थात् कुल ₹36,13,000/- (छत्तीस लाख तेरह हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध प्रस्तावित हैं।



सचिव, 11.11.16

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति

कल्याण विभाग

बिहार, पटना

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण।

अनुदान
अनुदान / विनियोग

मांग संख्या- 44

अनुसूची: 53-प्रपत्र सं०-212

अनुदान कोड-एन 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाए-00-090-सचिवालय, 0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (विपत्र कोड-एन 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277 शिक्षा, 0002-छात्रवासों का संधारण (विपत्र कोड-एन-2225012770002)

वृहत शीर्षक- 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाए-00-090-सचिवालय, 0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (विपत्र कोड-एन 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277 शिक्षा, 0002-छात्रवासों का संधारण (विपत्र कोड-एन-2225012770002)

शीर्षक जिससे अर्धिक विनियोग प्रस्तावित है (N2251000900023)

शीर्षक	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1301 कार्यालय व्यय 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ		रु० 2000000 2900000	रु० 2000000 2900000	रु० 2800000 5713000	रु० 800000 2813000	रु० 2800000 5713000	1304 विद्युत प्रसार	रु० 400000000	रु० 400000000	रु० 36387000 कुल:-	रु० 3613000 3613000 (छत्तीस लाख तेरह हजार रु०)	रु० 36387000

टिप्पणी- (क) स्तम्भ 1 और 7 में ऐसे लघु और उप-शीर्षक दिखाये जाय, जिनसे इकाई संबंधित हो।
(ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर, दिखाई जाय।
(ग) स्तम्भ 6 से 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए।
(घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।
(ङ) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा-पूरा पीठ पीठ पर दिया जाय।

अनुदान
प्राप्ति एवं व्यय
कल्याण विभाग

अन्य इकाइयों-6